निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1015) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–179/2015,सा०प्र०–14105

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

17 अक्तूबर 2016

श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–966/99, 316 सी०/08, 142/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध "इस्ट वेस्ट कॉरिडोर" के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०–42/08, दिनांक 15.07.2008 दर्ज हुआ, जिसमें ये नामजद अभियुक्त बनाये गये। उक्त कांड में श्री प्रसाद दिनांक 15.07.2008 को गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8984, दिनांक 14.08.2008 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। इनका मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया।

2. श्री प्रसाद ने अपनी गिरफ्तारी/कारावास के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जिसमें दिनांक 22.11.2008 को पारित आदेश के आलोक में ये कारामुक्त होकर दिनांक 28.11.2008 को विभाग में योगदान किये। मामले को संवेदनशीलता के आलोक में विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4508. दिनांक 19.05. 2009 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1352, दिनांक 10.02.2010 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया।

3. उपर्युक्त आरोपों पर श्री प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ करने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक–2241, दिनांक 26.09.2008 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4668, दिनांक 25.05.2009 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–371, दिनांक 29.07. 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक–11571, दिनांक 10.08.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन की समीक्षा में पाया गया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के रूप में आरोपित पदाधिकारी ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान के क्रम में भूमि के मूल्यांकन में अनियमितता बरती तथा गलत तरीके से भूमि का स्वरूप प्रतिवेदित कर मनमाने ढ़ग से मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की। आरोपित पदाधिकारी ने एक ही स्थल पर एक साथ संलग्न तीन–चार भू–खंड में मनमाने ढंग से कुछ भूमि को व्यावसायिक तथा कुछ को एक फसला अथवा दो

फसला माना। जो अनियमित एवं अनुचित था। उन्हें भूमि के परिवर्तित स्वरूप पर समेकित रूप से परदर्शी निर्णय लेना चाहिए था। उनके इस कृत्य से सरकार को राजस्व की क्षति हुई।

संचालन पदाधिकारी ने भी यह मंतव्य दिया है कि श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप सिद्ध होते है। निगरानी विभाग ने भी उक्त कांड सं०–42/2008 में संबंधित निगरानी न्यायालय में आरोप पत्र सं०–62/08 दायर किये जाने की सूचना दी है। इस परिप्रेक्ष्य में जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों पर श्री प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

(i) बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की स्थायी कटौती।

(ii) न्यायिक हिरासत की निलंबन अवधि दिनांक 15.07.2008 से दिनांक 27.11.2008 के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा, परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह अवधि सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 19.05.2009 से दिनांक 10.02.2010 की निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही अनुमान्य होगा परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह अवधि सेवा अवधि मानी जायेगी।

उपर्युक्त कंडिका (i) में वर्णित अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित पेंशन कटौती के निर्णय पर विभागीय पत्रांक–6823, दिनांक 13.05.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1837, दिनांक 20.09.2016 द्वारा पेंशन कटौती के प्रस्ताव में आयोग की सहमति संसूचित की गयी।

5. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–316 सी०/08, 142/11, के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :–

(क) पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) प्रतिशत की स्थायी कटौती।

6. निलबंन अवधि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1015–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in